भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1597
उत्तर देने की तारीख 31 जुलाई, 2024

बाड़मेर-जैसलमेर में मोबाइल नेटवर्क

1597. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कई गांव और बस्तियों में अभी भी मोबाइल नेटवर्क नही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों को तुरंत मोबाइल कनेक्टिविटी नेटवर्क से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने सांसदों की अध्यक्षता में टीएसी समिति गठित की है और यदि हां, तो बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त समिति का पुनर्गठन किए जाने की अनुमनित समय-सीमा तथा उक्त समिति के गठन के मुख्य उद्देश्य क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) एवं (ख) बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 3,624 गांवों में से 3,267 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

सरकार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से वित्त पोषण के माध्यम से देश के सभी सेवा से वंचित गांवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज प्रदान करने के लिए 4 जी सेचुरेशन स्कीम सहित विभिन्न स्कीमों को लागू कर रही है।

(ग) दूरसंचार विभाग ने बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में माननीय सांसदों की अध्यक्षता में टेलीफोन सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन दिनांक 14.07.2024 से दो वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 14.07.2024 से 13.07.2026 तक के लिए किया है।

टीएसी के गठन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:

- टीएसी टेलीफोन सेवा उपभोक्ताओं और बीएसएनएल के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करती है।
- यह आम जनता को यह विश्वास दिलाती है कि दूरसंचार सेवाओं से संबंधित उनकी आकांक्षाओं को उचित रूप से प्रस्तुत किया जाता है और उनका ध्यान रखा जाता है।
- बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में आम जनता को शिक्षित करना/टेलीफोन सेवा उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाना।
- दूरसंचार सेवाओं और दक्षता में सुधार के लिए उपाय सुझाना।

*****